



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्तों को **10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹34,000 के अर्थ दंड** की सजा दिलाई गई ,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत अ0सं0 240/2011, धारा- 307 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय ईसी कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्तों **1भीम पुत्र लक्ष्मी जोगी निवासी मोहल्ला मराठीपुरा थाना मौदहा 2. रामकुमार उर्फ मुन्ना पुत्र श्री बरदानी 3.कृष्णकान्त उर्फ बच्चा पुत्र बरदानी** नि0 ग्राम फत्तेपुर थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को **10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹34,000 के अर्थ दंड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री राजेश  
कुमार तिवारी



विवेचक सीओ  
कुलपहाड श्री  
के0एन0 चौधरी



पैरोकार मौदहा  
श्री का0 शुभम यादव